

## कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर, म०प्र०

क्रमांक /65/स्थापना/2/2020

इन्दौर, दिनांक 13/01/2020

### ::आदेश::

श्री अजय देव शर्मा, अपर कलेक्टर एवं भू-प्रबंधन अधिकारी का स्थानान्तरण होने एवं उनके स्थान पर श्रीमती कीर्ति खुरासिया, अपर कलेक्टर एवं भू-प्रबंधन अधिकारी द्वारा उपस्थित होने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1034/स्थापना/2/2019 दिनांक 29.8.2019 आंशिक संशोधन करते हुवे प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :-

क्रं.	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
1	श्री पवन जैन (रा.प्र.से.) अपर कलेक्टर इंदौर	<p><b>(A) राजस्व प्रकरणों का निराकरण- अनुभाग सांवेर, देपालपुर</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959, पंचायतराज अधिनियम, नगर पंचायत नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपील, निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण (प्रत्येक 1 व 2 प्रकरण)</li> <li>2. राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कार्यवाही ।</li> <li>3. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अंतर्गत जिला कलेक्टर को प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपने प्रभार क्षेत्र के प्रकरणों का निराकरण ।</li> <li>4. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व देवस्थान तथा वक्फ संपत्ति तहत कार्यवाही ।</li> <li>5. अपने अनुभाग अन्तर्गत म०प्र० लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत सेवा का निराकरण समय सीमा में पदाभिहित अधिकारी के द्वारा न करने की स्थिति में प्रथम अपील के दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा ।</li> <li>6. अपने अनुभाग अंतर्गत बी.पी.एल. सर्वे सूची में नाम दर्ज कराए जाने हेतु एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु तथा दस्तावेज की नकल हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्राप्त अपील प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया जावेगा ।</li> <li>7 प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूतियों का हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण (प्रभार के थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाली संपत्ति रूपये 5.00 करोड से कम)</li> <li>8 अनुभाग क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी एवं प्रभार की शाखाओं के सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे ।</li> </ol> <p><b>(B) द्राण्डिक कार्य -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के रूप में सौंपे गये थाना क्षेत्रों की कानून व्यवस्था के कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे ।</li> <li>2- थाना क्षेत्र- थाना सावेर, क्षिप्रा, चन्द्रावतीगंज, देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा,</li> </ol> <p><b>(C) विभाग-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1-भू-अर्जन शाखा</li> <li>2-स्लम रिहेबिलिटेशन (गंदी बस्ती उन्मूलन)</li> <li>3-जनगणना</li> <li>4-सांख्यिकीय लिपिक (एस.डबल्यू.)</li> <li>5-लोक सेवा गारंटी</li> <li>6-विभिन्न बैठकों की जानकारी का संकलन, प्रस्तुतीकरण</li> <li>7-सामान्य अभिलेखागार/राजस्व अभिलेखागार</li> <li>8-सक्षम अधिकारी के द्वारा पी०सी० एण्ड पी०एन०डी०टी० अधिनियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी</li> <li>9-मुख्यमंत्री हेल्पलाईन/समाधान ऑनलाईन/जन सुनवाई शाखा</li> <li>10-धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व देवस्थान तथा वक्फ संपत्ति तहत कार्यवाही</li> </ol> <p><b>(D) नोडल अधिकारी-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- मल्लावरम-भोपाल-भीलवाडा-विजयपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना</li> </ol>

		<p>2- 4 जी ब्राडबैंड वायर लाईन एवं वायरलैस एक्सेस सर्विसेस ( E) <u>वित्तीय अधिकार-</u> 1-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि / विभागीय भविष्य निधि अग्रिम/आंशिक आहरण की स्वीकृति की कार्यवाही। 2-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के 30 दिवस के अर्जित अवकाश, यात्रा अवकाश, की स्वीकृति तथा वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति। 3-रूपये 50,000/- के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार (विधुत, फोन बिल,अन्य कार्यालय व्यय एवं समस्त शासकीय देयक) 4-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये कार्य।</p>
2	<p>श्री भारत भूषण सिंह तोमर (रा०प्र०से) अपर कलेक्टर इंदौर</p>	<p>(A) <u>राजस्व प्रकरणों का निराकरण- अनुभाग जूनी इंदौर, मल्हारगंज</u> 1 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959,पंचायतराज अधिनियम,नगर पंचायत नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपील, निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण (प्रत्येक 1 व 2 प्रकरण) 2. राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कार्यवाही 3. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अंतर्गत जिला कलेक्टर को प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपने प्रभार क्षेत्र के प्रकरणों का निराकरण। 4. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व देवस्थान तथा वक्फ संपत्ति तहत कार्यवाही 5. अपने अनुभाग अन्तर्गत म०प्र०लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत सेवा का निराकरण समय सीमा में पदाभिहित अधिकारी के द्वारा न करने की स्थिति में प्रथम अपील के दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा। 6. अपने अनुभाग अंतर्गत बी.पी.एल. सर्वे सूची में नाम दर्ज कराए जाने हेतु एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु तथा दस्तावेज की नकल हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्राप्त अपील प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया जावेगा। 7. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूतियों का हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण(प्रभार के थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाली संपत्ति रूपये 5.00 करोड़ से कम) 8. खाद्य एवं सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं उसके तहत बने नियम-2011 में कारित इन्दौर जिले के विभिन्न प्रकरणों में न्याय निर्णायक अधिकारी। 9. अनुभाग क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी एवं प्रभार की शाखाओं के सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे। (B) <u>दाण्डिक कार्य -</u> 1- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के रूप में सौंपे गये थाना क्षेत्रों की कानून व्यवस्था के कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे। 2- <u>थाना क्षेत्र-</u> थाना जूनी इन्दौर,रावजी बाजार,भंवरकुआ,तुकोगंज,एम.जी. रोड, सेन्द्रलकोतवाली, मल्हारगंज,सदर बाजार, एरोडम,सराफा,पढरीनाथ, छत्रीपुरा, बाणगंगा,गांधीनगर, हीरानगर,परदेशीपुरा ( C) <u>अन्य प्रभार</u> 1-प्रेस एवं रजिस्ट्रार ऑफ बुक्स अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही 2-आर्म्स अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति 3- पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना एवं अपराधिक अन्वेषण ब्यरों के प्रकरणों में राज्य प्रशासनिक सेवा एवं राजस्व अधिकारियों को साक्ष्य एवं विवेचना सम्बन्धित कार्य। ( D) <u>विभाग-</u> 1-लोकल बॉडी 2- आपदा प्रबंधन 3-सत्कार (प्रोटोकॉल) शाखा 4-दंगा राहत एवं पुर्नवास 5-शस्त्र नियमों के अंतर्गत लायसेंस से संबंधित समस्त कार्यवाही (अनुज्ञापि लिपिक) 5-पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना एवं</p>

		<p>इससे संबंधित अन्य कार्य</p> <p>6-होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा संबंधी कार्यवाही</p> <p>7-केन्द्रीय जेल/जिला जेल</p> <p>8-जिला शहरी विकास अभिकरण</p> <p>9-खाद्य शाखा</p> <p>10-नगर विकास यातायात समिति संबंधी कार्य</p> <p>11-खाद्य एवं औषधि प्रशासन</p> <p>12- अल्प संख्यक आयोग</p> <p>13- ऐसिड अनुमति</p> <p>(E) प्रशासक- श्री वैष्णव पोलिटेकनिक महाविद्यालय इन्दौर</p> <p>(F) वित्तीय अधिकार-</p> <p>1-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि / विभागीय भविष्य निधि अग्रिम/आंशिक आहरण की स्वीकृति की कार्यवाही।</p> <p>2-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के 30 दिवस के अर्जित अवकाश, यात्रा अवकाश, की स्वीकृति तथा वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति।</p> <p>3-रूपये 50,000/- के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार (विद्युत, फोन बिल,अन्य कार्यालय व्यय एवं समस्त शासकीय देयक)</p> <p>4-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये कार्य।</p>
3	<p>श्रीमती कीर्ति खुरासिया (राप्रसे) जिला भू-प्रबंधन अधिकारी</p>	<p>(A) राजस्व प्रकरणों का निराकरण- अनुभाग हातोद, खुडैल</p> <p>1 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959,पंचायतराज अधिनियम,नगर पंचायत नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपील.निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण (प्रत्येक 1 व 2 प्रकरण)</p> <p>2. राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कार्यवाही</p> <p>3. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अंतर्गत जिला कलेक्टर को प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपने प्रभार क्षेत्र के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>4. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व देवस्थान तथा वक्फ संपत्ति तहत कार्यवाही</p> <p>5. अपने अनुभाग अन्तर्गत म0प्र0लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत सेवा का निराकरण समय सीमा में पदाभिहित अधिकारी के द्वारा न करने की स्थिति में प्रथम अपील के दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।</p> <p>6. अपने अनुभाग अंतर्गत बी.पी.एल. सर्वे सूची में नाम दर्ज कराए जाने हेतु एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु तथा दस्तावेज की नकल हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्राप्त अपील प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया जावेगा।</p> <p>7 प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूतियों का हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण(प्रभार के थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाली संपत्ति रूपये 5.00 करोड़ से कम)</p> <p>8 अनुभाग क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी एवं प्रभार की शाखाओं के सूचना के अधिकार अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे।</p> <p>(B) दाण्डिक कार्य -</p> <p>1- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के रूप में सौंपे गये थाना क्षेत्रों की कानून व्यवस्था के कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे।</p> <p>थाना क्षेत्र:-थाना हातोद, खुडैल।</p> <p>(C) प्रभारी अधिकारी :- भू-प्रबंधन योजना के अन्तर्गत मुख्य कार्यों का सम्पादन :-</p> <p>1 नक्शा निर्माण,नवीनीकरण,एवं अद्यतीकरण</p> <p>2 शहरी सवेक्षण एवं शहरों का नक्शों का निर्माण एवं अद्यतीकरण</p> <p>3 नजूल</p> <p>4 डायवर्सन</p> <p>5 सीमांकन</p> <p>6 वन एवं राजस्व भूमि के विवाद का निराकरण</p>

	<p>7 नई फसल बीमा योजना</p> <p>8 सामान्य भू-अभिलेख एवं प्रशासन</p> <p>9 नजूल प्रकरण में कार्यवाही अपील तथा निगरानी प्रकरण, नजूल रिकार्ड का संधारण एवं नजूल जाँच</p> <p>10 कृषि जोत अधिनियम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के क्षेत्राधिकार के समस्त प्रकरणों का निर्वतन ।</p> <p>(D) वित्तीय अधिकार-</p> <p>1-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि / विभागीय भविष्य निधि अग्रिम/आंशिक आहरण की स्वीकृति की कार्यवाही ।</p> <p>2-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के 30 दिवस के अर्जित अवकाश, यात्रा अवकाश, की स्वीकृति तथा वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति ।</p> <p>3-रूपये 50,000/-के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार(विद्युत, फोन बिल,अन्य कार्यालय व्यय एवं समस्त शासकीय देयक)</p> <p>4-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये कार्य ।</p>
--	--

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

*(Signature)*

(लोकेश कुमार जाटव)  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला इन्दौर

इन्दौर दिनांक 13/01/2020

पृष्ठांकन क्रमांक / 66 /स्थापना /2 /2020  
प्रतिलिपि:-

- 1/ सचिव मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग /राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 2/ आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर ।
- 3/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर ।
- 4/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर ।
- 5/ पुलिस अधीक्षक /पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय इन्दौर
- 6/ आयुक्त नगर पालिक निगम इन्दौर ।
- 7/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर
- 8/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर
- 9/ अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी 1, 2, 3,4,5 जिला इन्दौर की और सूचनार्थ ।
- 10/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) -----
- 11/ शासकीय अधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर
- 12/ सचिव, बार एसोसियेशन कलेक्टोरेट /जिला न्यायालय इन्दौर
- 13/ संयुक्त संचालक जनसंपर्क विभाग इन्दौर
- 14/ नियंत्रक जिला नागरिक आपूर्ति (खाद्य शाखा) इन्दौर
- 15/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर
- 16/ जिला राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान केन्द्र कलेक्टोरेट इन्दौर
- 17/ सी0ई0ओ0 ई-गवर्नेंस कलेक्टोरेट इन्दौर
- 18/ जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी कलेक्टोरेट इन्दौर
- 19/ जिला कोषालय अधिकारी /नगर कोषालय अधिकारी इन्दौर
- 20/ प्रभारी अधिकारी -----
- 21/ निज सहायक कलेक्टर इन्दौर
- 22/ प्रस्तुतकार कलेक्टर /अपर कलेक्टर 1, 2, 3,4,5 जिला इन्दौर
- 23/ तहसीलदार तहसील -----की और सूचनार्थ ।
- 24/ कार्यालय अधीक्षक कलेक्टोरेट इन्दौर
- 25/ सहायक अधीक्षक राजस्व/सामान्य कलेक्टोरेट जिला इन्दौर
- 26/ समस्त संबंधित शाखा-----की और सूचनार्थ

*(Signature)*

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला इन्दौर

15